न्याधीश श,ाध

,श,ी,मोटश,ाध

रर

रररररलर र

!

" # $ %& ' (')

* * # ' +

, ' $ -. / + ' 0 #

0 1 # 2 # '

(3 (# ' 4 5 / #

4 1 67' ' # 8 1 / - 4

9 5 1 1 5

($ # :# ; 3

/ $. < ' # % ' # #

4 1 ' # ' # "

. $ %& # '

रररररररररररररररररररररर =

> 3 4?

@ " %

% % % 5

अपनी साक्ष्य में दिनांक 26.07.2019 को दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता बुधराम उर्फ नेतराम के गंभीर चोटों के कारण सरकारी अस्पताल विजयनगर में भर्ती करवाना, चोटें गंभीर होने के कारण गंगानगर रैफर करना, रास्तें में तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण अपेक्स होस्पीटल, सूरतगढ में ले जाकर भर्ती करवाना जहां दिनांक 27.07.2019 से 12.08.2019 तक इलाज चलना, तत्पश्चात तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे दिनांक 12.08.2019 को ट्रोमा सेंटर पीबीएम बीकानेर में भर्ती करवाना जहां दौराने इलाज मृत्यु होने के कथन किये हैं। साक्षी शारदा ने अपनी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक बुधराम प्रदर्श 4, पंचनामा प्रदर्श 6, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 10 एवं इलाज बिल व पर्चियां प्रदर्श 17 लगायत 23 को प्रमाणित करवाये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 4 से बुधराम उर्फ नेतराम की मृत्यु होना साबित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप याचीगण के पति/पिता बुधराम उर्फ नेतराम की मृत्यु होना साबित है।

17. याची पक्ष को केवल अधिसंभावनाओं की प्रबलता की हद तक ही अपनी साक्ष्य के जरिये प्रकरण को प्रमाणित करना होता है जो याची पक्ष प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 01 याचीगण के पक्ष में एवं अयाचीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 2 व 3–</u>

02. आया दुर्घटना वाहन मोटरसाईकिल बजाज सीटी 100 जिसके इंजन नंबर PFYPKC24929 चैसिस नंबर MD2B37AYOKPC38919 अयाची संख्या 1 के स्वामित्व का था ?

––याचीगण

03. आया बीमा की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बीमा कम्पनी अयाची संख्या 2 प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है ?

––अयाची सं0 2

18. उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने से साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृति से बचने के लिये उक्त दोनों विवाद्यकों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 02 को साबित करने का भार याचीगण पर एवं विवाद्यक संख्या

03 को साबित करने का भार अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी पर है। याचीगण ने अपनी याचिका एवं ए.डब्ल्यू. 1 शारदा ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वरवक्त दुर्घटना सी टी 100 बिना नंबरी मोटरसाईकिल इंजन नं0 PFYPKC24929 चैसिस नंबर MD2B37AYOKPC38919 का स्वामी अयाची संख्या 1 चेतनराम था एवं उक्त वाहन बीमा कम्पनी बजाज एलियान्ज से बीमित था। याचीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 बिल मोटरसाईकिल, प्रदर्श 7 नोटिस 133 एम वी एक्ट से वरवक्त दुर्घटना बिना नंबरी मोटरसाईकिल सीटी 100 इंजन नंबर PFYPKC24929, चैसिस नंबर MD2B37AYOKPC38919 का मालिक अयाची संख्या 1 चेतनराम होना तथा दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 13 बीमा पालिसी से उक्त इंजन–चैसिस नंबरी मोटरसाईकिल दिनांक 18.07.2019 से 17.07.2020 तक अयाची संख्या 2 से बीमित होना साबित है। याचीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वरवक्त दुर्घटना उपरोक्त वाहन का उपयोग होकर दुर्घटनाग्रस्त होना भी साबित होता है।

19. अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 मयंक शर्मा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि उक्त क्लेम याचिका मृतक बुधराम की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई है। बीमित वाहन पर चालक गणेशाराम होना बताया गया है जबकि वरवक्त घटना उसके पास वाहन चलाने हेतु वैध व प्रभावी लाईसेंस नहीं था जो कि बीमा शर्तों का उल्लंघन है जिससे बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व नहीं बनता है। यही तर्क विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 2 की ओर से दौराने बहस उठाया गया है। इस संबंध में इस अधिकरण को नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ड्राईविंग लाईसेंस का न होना, नकली होना या अमान्य होना अथवा वाहन चलाने में अयोग्य होना अपने आप में बीमा कम्पनी के लिये दायित्व से बचने का बचाव नहीं है। बीमा कम्पनी तभी पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का लाभ उठा सकती है जब वह यह सिद्ध कर दे कि उल्लंघन बीमित व्यक्ति की लापरवाही या दोष के कारण हुआ था। बीमा कम्पनी को यह साबित करना होगा कि बीमित स्वयं ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की थी या उसे होने दिया था । बीमा कम्पनी को अपनी देयता से बचने के लिये यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाह था

तथा उसने उचित सावधानी नहीं बरती और वाहन के उपयोग संबंधी पॉलिसी की शर्तों का पालन करने में विफल रहा अर्थात उसने वाहन ऐसे व्यक्ति से चलवाया जिसके पास वैध लाईसेंस नहीं था या जो उस समय वाहन चलाने के लिये अयोग्य था। इस संबंध में प्रमाण का भार बीमा कम्पनी पर ही होगा।

यह सुस्थापित विधि है कि केवल इस कारण से कि दावाकर्ता (Complainant) ने ड्राईविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया है, विशेष रूप से तब जब वह दुर्घटना में खो गया हो तब यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक/चालक के पास लाईसेंस था ही नहीं। बीमा कम्पनी को यह भी साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति ने जानबूझकर और इच्छा पूर्वक वाहन ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए सौंपा था जिसके पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। यदि बीमा कम्पनी की ओर से इस सम्बन्ध में स्पष्ट खण्डन और ठोस/सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मृतक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होने की प्रतिरक्षा स्वीकार नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में भी बीमा कम्पनी की ओर से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट हो कि मृतक /चालक गणेशाराम के पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं हो। अतः बीमा कम्पनी की उक्त प्रतिरक्षा स्वीकार नहीं की जा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 02 का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि मृतक बुधराम तृतीय पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है। अतः बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं बनता है। उक्त तर्क के क्रम में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पत्रावली पर इस सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल सीटी 100 का पंजीकृत स्वामी अयाची संख्या 01 चेतनराम था तथा मृतक बुधराम उक्त मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ था। इस प्रकार मृतक बुधराम ना तो बीमाकर्ता है और ना ही बीमाधारक/वाहन स्वामी है। अतः विद्वान अधिवक्ता अयाची संख्या 2 का उक्त तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

20. उपरोक्त विश्लेषणानुसार याचीगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि वक्त दुर्घटना बिना नंबरी मोटरसाईकिल सीटी 100 अयाची संख्या 1 के स्वामित्व का था तथा अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी से बीमित था एवं दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर हुई है। इसके विपरीत अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी बीमा पॉलिसी की शर्तों की अवहेलना को साबित नहीं कर पायी है। अतः तनकी संख्या 2 याचीगण के पक्ष एवं तनकी संख्या 3 अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 4–</u>

> **04.** आया याचीगण, अयाचीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे व कितनी ?

21. इस विवाद्यक के संबंध में याचीगण ने अपनी याचिका में एवं याचिया ए डब्ल्यू 1 शारदा ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किये हैं कि वरवक्त दुर्घटना मृतक बुधराम उर्फ नेतराम 24 वर्षीय हष्टपुष्ट, स्वस्थ था जो खेती व पशुपालन का कार्य करके 2,40,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित करता था जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होने की संभावना थी। मृतक के परिवार में लंबी आयु का इतिहास रहा है एवं मृतक अपनी आय का अधिकांश हिस्सा याचीगण पर ही खर्च करता था एवं याचीगण मृतक पर ही आश्रित थे। याचीगण ने मृतक बुधराम की असमय मृत्यु होने से आय का नुकसान, याचीगण को मानसिक पीड़ा, याची संख्या 1 अपने पति के प्यार व सहचार्य से तथा याची संख्या 2 अपने पिता के स्नेह, सानिध्य से तथा अयाची संख्या 3 व 4 अपने पुत्र के प्रेम व बूढापे के सहारे से वंचित होने की पूर्ति के लिये पांच लाख रूपये, अंतिम संस्कार खर्च के एक लाख रूपये, परिवहन खर्च के दस हजार रूपये सहित उक्त राशि अयाचीगण से दिलाई जाने की प्रार्थना की है। याचीगण को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

मृतक की आयु व गुणांक–

22. जहां तक वर वक्त दुर्घटना मृतक बुधराम उर्फ नेतराम की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका में मृतक की उम्र 24 वर्ष अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 5 एवं फर्द सूरत लाश एवं पंचनामा लाश प्रदर्श 6 में मृतक बुधराम की उम्र 21 वर्ष अंकित

है। याचीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रमाणित नहीं करवाई गई है। दुर्घटना दिनांक 26.07.2019 की है। अतः वरवक्त घटना मृतक बुधराम उर्फ नेतराम की उम्र 24 वर्ष निर्धारित की जाती है जो 21 से 25 आयु वर्ग में आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2009) AIR (SC) 3104 SMT. SARLA VERMA AND OTHERS Vs DELHI TRANSPORT CORPORATION AND ANOTHER में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा – निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 18 का गुणांक उपयोग में लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय–

23. इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में याचीया शारदा ए.डब्ल्यू.1 ने कथन किया है कि मृतक खेती एवं पशुपालन का काम करता था जिससे उसे 2,40,000/–रूपये वार्षिक आय अर्जित होती थी परन्तु इस संबंध में याचीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वरवक्त दुर्घटना मृतक बुधराम उर्फ नेतराम 2,40,000/– रूपये वार्षिक कमाता हो । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को वरवक्त दुर्घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए राजस्थान राज्य में माह जुलाई, 2019 को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **5,850/–**रूपये प्रति माह होने के कारण मृतक बुधराम की वार्षिक आय **70,200/–**रूपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि–

24. न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 40 वर्ष तक की आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण 40 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त 40 प्रतिशत की वृद्धि भावी आय में करने पर 70,200+ 28,080= 98,280/–रूपये मृतक को वार्षिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती-

25. मृतक बुधराम उर्फ नेतराम विवाहित था एवं याचीगण एवं अयाची संख्या 3 व 4 मृतक पर आश्रित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 ACR (SC) 3104 Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another में प्रतिपादित सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मृतक के विवाहित होने एवं मृतक पर आश्रितों की संख्या 4 से 6 तक होने के कारण मृतक की आय में से 1/4 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन-सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जावेंगी । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 98,280 रूपये में से 1/4 राशि कटौती किये जाने पर शेष राशि 98,280-24,570= 73,710/-रूपये वार्षिक आय होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष राशि {वार्षिक आय×गुणांक 18} =73,710×18= 13,26,780/- रूपये निर्धारित की जाती है, जिस राशि का नुकसान याचीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा ।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह संस्कार एवं सम्पदा हानि-

26. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI, New India Assurance Company Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021(1) R.A.R. 24(SC) एवं United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June, 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इस मद में Parental Consortium, Spousal Consortium, Filial Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017 AIR (SC) 5157 में ये दिशा-निर्देश दिये गये है "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/-, Rs. 40,000/-, Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" । अतः वर्तमान

प्रकरण में उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति हेतु याची संख्या 1 मृतक की पत्नी, याची संख्या 2 मृतक के पुत्र एवं अयाची संख्या 2 व 3 मृतक के माता–पिता, प्रत्येक को Consortium 40,000/– रूपये दिलाये जाने योग्य पाया जाकर कुल राशि 1,60,000/– दिलाये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

27. याचीगण को Loss of Estate and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 15,000/– रूपये एवं 15,000/–रूपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

28. मृतक के शव को लाने–ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में याचीगण को 5,000/–रूपये दिलाये जाना उचित है।

29. याची ए डब्ल्यू 1 शारदा ने अपनी याचिका एवं साक्ष्य में कथन किये हैं कि दुर्घटना के तुरन्त पश्चात बुधराम उपचार हेतु एपेक्स अस्पताल सूरतगढ़ में भर्ती करवाया गया, जहाँ बुधराम का दिनांक 27.07.2019 से दिनांक 12.08.2019 तक ईलाज चला। जहां के डाक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीबीएम होस्पीटल, बीकानेर के लिये रैफर कर दिया, जिस पर बुधराम को बीकानेर के पीबीएम होस्पीटल में भर्ती करवाया गया। जहां दिनांक 14.08.2019 को बुधराम की मृत्यु हो गई। याची ने अपनी साक्ष्य में 2,00,000/–रूपये ईलाज में खर्चा आने का कथन किया। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य के दौरान मेडिकल बिल प्रदर्श 19 लगायत 23 पेश कर प्रदर्शित करवाये हैं। याची ने अपनी साक्ष्य में उपचार के लिये एपेक्स अस्पताल सूरतगढ़ एवं पीबीएम अस्पताल बीकानेर में भर्ती रहना कथन किया है एवं मेडिकल बिल व अस्पताल रसीद प्रदर्श 19 से 23 प्रदर्शित करवाये हैं । अतः याची को अस्पताल में भर्ती रहने, विशिष्ट आहार एवं मेडिकल बिल की राशि की मद में कुल 25,200/– प्रतिकर राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती है –

1. आय की हानि के लिये
   (73,710×18) – 13,26,780/–रूपये

2.	Loss of Consortium	–	1,60,000/–रूपये
3.	Funeral Expenses	–	15,000/–रूपये
4.	Loss of Estate	–	15,000/–रूपये
5.	परिवहन व्यय बाबत	–	5,000/–रूपये
6.	अस्पताल में भर्ती रहने, विशिष्ट आहार एवं मेडिकल बिल	–	25,200/–रूपये
	कुल देय क्षतिपूर्ति राशि	–	**15,46,980**/–रूपये

31. अब यह देखा जाना है कि याचीगण उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अयाची से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3 के विवेचन में यह निर्धारित किया गया है कि दिनांक 26.07.2019 को रात्रि करीब 11.00 बजे विजयगनर–अनूपगढ सड़क पर संगम होटल रोही 49 जीबी के पास मोटरसाईकिल सीटी 100 एवं मोटरसाईकिल प्लेटिना में टक्कर होकर दुर्घटना कारित हुई एवं उक्त दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता एवं अयाची संख्या 3 व 4 के पुत्र बुधराम उर्फ नेतराम के आई चोटों के फलस्वरूप दौराने इलाज बुधराम उर्फ नेतराम की मृत्यु कारित हुई। वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन अयाची संख्या 2 बीमा कम्पनी से बीमित था एवं दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अयाची संख्या 1 चेतनराम था। अतः याचीगण उक्त प्रतिकर राशि अयाची संख्या 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक्–पृथक् रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>विवाद्यक संख्या 5–</u>

सहायता–

32. यह तनकी अनुतोष से सम्बन्धित है। उपरोक्त विवाद्यकों के विवेचनानुसार याचीगण **शारदा व सुभाष एवं अयाची संख्या 3 विमला व 4 लेखराम** कुल **15,46,980**/–रूपये, अयाची संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः व पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 15.10.2019 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचीगण की उक्त क्लेम याचिका उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: <u>आदेश/पंचाट</u> ::–

33. अतः याचीगण शारदा आदि की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका विरूद्ध अयाचीगण चेतनराम आदि निम्न प्रकार से **स्वीकार** की जाती हैः– याचीगण **शारदा व सुभाष एवं अयाची संख्या 3 विमला व 4 लेखराम** कुल प्रतिकर राशि **15,46,980**/– रूपये (पन्द्रह लाख छिंयालीस हजार नौ सौ अस्सी रूपये मात्र) अयाची संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 15.10.2019 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस बाबत अंतिम पंचाट जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम याची/ अयाची	बचत खाता में	सावधि खाता में	सावधि जमा की अवधि
1.	शारदा	**5,46,980**/–रूपये मय देय ब्याज राशि	3,00,000/–	दो वर्ष
2.	सुभाष	––	2,40,000/– मय देय ब्याज राशि	वयस्क होने तक
3.	विमला	1,30,000/–रूपये मय देय ब्याज राशि	1,00,000/–	दो वर्ष
4.	लेखराम	1,30,000/–रूपये मय देय ब्याज राशि	1,00,000/–	दो वर्ष

34. यदि याचीगण के द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त की गई है, तो उस राशि का प्रतिकर की राशि में समायोजन किया जाकर शेष राशि याचीगण को दी जावे। याचीगण की ओर से याचित शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

35. अयाचीगण उक्त प्रतिकर राशि संयुक्ततः एवं पृथकतः एक माह के भीतर मय ब्याज अदा करेंगे। भुगतान अधिकरण के बैंक खाता में आरटीजीएस/नैफ्ट किया जाए और आरटीजीएस/नैफ्ट की सूचना अयाचीगण द्वारा अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे।

36. याचीगण एवं अयाची संख्या 3 व 4 को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपने पैन कार्ड की फोटोप्रति आयाची बीमा कम्पनी

को उपलब्ध कराए। उपरोक्त प्रतिकर राशि प्राप्त होने पर याचीगण/अयाची संख्या 3 व 4 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से उक्तानुसार नकद/सावधि प्राप्त करेगा। प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

37. निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 16.06.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर